मौज करने वालों को आप यह मौका दे रहे हैं कि तुम बेल ले लो, एंटिसिपेटरी बेल ले लो, वारंट से गिरफ्तार होने के पहले ही ले लो। मैं समझता हूं कि यह एक जुर्म हम करने जा रहे हैं। जो नीतियां सरकार अपना रही है जो अपनाने का दावा करती है, उस सब को हम 438 के जरिये खत्म कर दे रहे हैं।

इसलिए मैं समझता हूं कि यह सदन इस पर गौर करे कि इस दफा को खत्म करना जरुरी है या नहीं ? या रखना जरुरी है तो अपवाद कर दीजिये कि खून वाले या एकोनामिक नहीं आफेंस वाले जो जुर्म होगें उन में यह एंटिसि-पेटरी बेल नहीं मिलेगा। . . .

श्री मूल चन्द डागा (पाली): जब तक गुनाह साबित न हो जाय तब तक उस को गुनाह न मानें।

श्री भोगेन्द्र झा : एक दम सही बात है। इसीलिये मेरा आग्रह है कि सबों को जमानत मिल जाय। मैं उम्मीद करता हूं—डागा साहब हिम्मत कर के बोलेगें कि साबित होने के पहले कोई गुनाहगार नहीं है, इसलिये सब को जमानत मिल जाय।

सभापति महोदय, इतने थोड़े समय में मैं पूरी बातें नहीं कह सकता हूं लेकिन कुछ धाराओं के विषयों में कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा जुर्म यह होता है कि पुलिस की डायरी का जिन को अनुभव है वे सभी जानतें हैं कि डायरी दो महीने बाद एक महीने के बाद, पन्द्रह दिन के बाद एक ही साथ लिख ली जाती है। पुलिस पहले से सोच लेती है, क्या लिखना है, घूस लेकर या किसी प्रभाव में आ कर डायरी लिखी जाती है, बयान लिखे जाते ह, और उसकी नकल नहीं दी जाती है। मेरा आग्रह है और मैनें प्रवर समिति में भी कहा था कि बयान देने के लिये 24 घन्टा, 48 घन्टा और यदि उस में भी सम्भव न हो तो 72 घन्टा दे दीजिये और उस के बाद पैसा देकर वह उस की नकल ले सकें ऐसी व्यवस्था कीजिये। इस से डायरी समय पर लिखी जायेगी और यह खतरा नहीं रहेगा कि दो तीन महीने बाद एक दिन बैठ कर 25 दिन की डायरी तैयार कर ली जाय। इस से सरकार की आमदनी भी बढ़ जायेगी और अपने खर्च पर मद्दालय कापी ले सकेगा। मैं जानता हूं कि पैसेवाले तो अब भी ले जाते हैं, हजार रुपये में, दो हजार रुपये में, डायरी बिकती है, लेकिन इस तरह से गरीब आदमी भी नकल ले सकेगा। जब संशोधनों पर विचार होगा, तब मैं बाकी बातें अर्ज करूंगा।

17.32 hrs.

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF INDIA, THE CHOGYAL OF SIKKIM AND LEADERS OF POLITICAL PARTIES OF SIKKIM

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): I beg to lay on the Table of the House a copy of the agreement between the Government of India, the Chogyal of Sikkim and the leaders of the political parties of Sikkim, signed on 8th May, 1973.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL —contd.

SHRI DINESH JOARDER (Malda): May I know the time by which amendments will have to be given notice of?

MR. CHAIRMAN: You can give them upto 12 O'clock tomorrow. Now we shall take up the next item of business.

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

IMPLEMENTATION OF LAND REFORMS

MR. CHAIRMAN: Before I call upon Mr. Samar Guha, I have to say this. Mr. Samar Guha has requested time for fifteen minutes. There are four more participants. I request him to be as brief as possible.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): सभापति महोदय, इस सवाल पर मैं अपना नाम नहीं दे सका हूं, क्या इस समय कुछ प्रश्नों के लिये अनुमति देंगे।

सभापति महोदय : अनुमति इस लिये नहीं दे सकता कि इस पर पहले ही 9 नाम आये थे और 4 बैलेट हुए हैं।